न्यायालय राजस्वअपीलप्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपीलसंख्याः 64/2024
जीसीएमएस संख्याः 2024/442

निर्णय दिनांक 08-07-2025

1. भंवरी देवी पत्नी भंवरलाल जाति बिश्नोई निवासी माणकासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. श्रवण कुमार पुत्र खेताराम जाति बिश्नोई निवासी गौडू तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
2. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व बज्जू जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

अपील विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, बज्जू
दिनांक 26–07–2024

उपस्थितः–

1. श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी बज्जू के आदेश दिनांक 26–07–2024 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से एकतरफा तौर पर नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 चक 5 जीएमआर के मुरब्बा नम्बर 82/36, मुरब्बा नम्बर 82/37, मुरब्बा नम्बर 82/44 तथा मुरब्बा नम्बर 82/45 में आवागमन हेतु अपीलांट के मुरब्बा नम्बर 82/45 के किला नम्बर11, 20 व 21 में से नवीन रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रस्तुत किया। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में अपीलांट का पत्ता गौड़ू का अंकित किया जबकि अपीलांट माणकासर का निवासी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी/अपीलांट को नोटिस प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित पत्ते पर प्रेषित किया। चूंकि अपीलांट माणकासर का निवासी है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस गौड़ू भेजे जाने से उक्त नोटिस कभी अपीलांट को प्राप्त ही नहीं हुआ एवं अधीनस्थ न्यायालय ने सम्यक तामील की उपधारणा करते हुए अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी ने उक्त गलत पत्ता भी इसी मकसद से पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत कर दिया गया एवं अपीलांट/अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया जोकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है।

आगे उन्होने कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वर्षों से रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहा है एवं अपीलांट बार–बार रास्ते में रूकावट पैदा करके रास्ता अवरूद्ध कर देता है। उक्त कथन नवीन रास्ते के नहीं होकर पहले से चालू रास्ते को खुलवाने के है जिसका क्षेत्राधिकार तहसीलदार को प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसील कार्यालय से रिपोर्ट मंगवाई है जिसमें यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जिसे मौका रिपोर्ट में बनाये गये नक्शे में भी अंकित किया गया है। धारा 251 ए आरटीए में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि नवीन रास्ता वैकल्पिक रास्ते के अभाव होने पर ही स्वीकृत किया जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने इस

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बिन्दु पर गौर किये बिना ही धारा 251 ए आरटीए के प्रावधानों के विपरीत एकतरफा तौर पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को फायदा पहुचाने की गरज से अपीलांट की भूमि में से रास्ता कायम किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में 2016 डब्ल्यूएलसी राज यूसी पेज 338 तथा आरएलडब्ल्यू 2010 (2) आरजे पेज 1330 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु पूर्व से कोई स्वीकृत रास्ता नहीं होने की दशा में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट् की जोत में से आवागमन हेतु रास्ते की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। जिस पर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस से तामील करवाने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये मगर अप्रार्थी फिर भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने से न्यायालय द्वारा अपीलांट/अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। जहां तक अपीलांट का यह कथन किया जाना कि अपीलांट का पत्ता माणकासर का है जबकि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा उसका पत्ता गौडू जानबूझकर अंकित किया है, इस संबंध में प्रार्थना पत्र एवं अपील में अपीलांट के धारण की भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत है उक्त राजस्व रिकोर्ड में अपीलांट का पत्ता गौडू अंकित है। प्रार्थी ने भी अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर जमाबंदी के अनुसार ही पत्ता अंकित किया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। आगे उन्होने बताया कि उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए के प्रावधानों के तहत तहसील कार्यालय से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट नियम 69 के अनुसार तैयार की गई है। अपीलांट द्वारा यह कथन किया जाना कि मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना अंकित है, इस संबंध में यह स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता दिखाया गया है मगर उक्त रास्ता कटाणी नहीं होने से एवं किलों के बीच से गुजरने के कारण प्रदान किये जाने योग्य नही है क्योंकि विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में यह कथित किया गया है कि नवीन रास्ता सींव–सींव

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

ही स्वीकृत किया जाना चाहिए जिससे पक्षकारों की भूमि के टुकडे ना हो। उक्त मौका रिपोर्ट के पैरा संख्या 4 में यह स्पष्ट है कि किला नम्बर 1, 10, 11, 20 एवं 21 में से 2–2 बिस्वा का आम रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्तावित किया है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तमाम तथ्यों एवं मौका रिपोर्ट के मध्यनजर ही किला नम्बर 11, 20 व 21 से नवीन रास्ता स्वीकृत किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्पष्ट तौर पर धारा 251 ए के प्रावधानों के तहत एवं खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु कटाणी रास्ते की आवश्यकता अनुरूप ही नवीन रास्ता स्वीकृत किये जाने से अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से तथा बहस उभय पक्ष से प्रकरण में यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। यद्यपि सम्यक तामील का प्रश्न अपीलीय न्यायालय में नहीं उठाना जाना चाहिए। अब जबकि उभय पक्ष न्यायालय के समक्ष उपिस्थत है तो प्रकरण को गुणावगुण पर देखा जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उक्त मौका रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 3 में उल्लेखित है कि मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जिससे प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करता आ रहा है।

यह विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा 251 ए आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित तथ्यों पर विचारण करना अनिवार्य है:–

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

1. रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता। अर्थात् वैकल्पिक रास्ते का अभाव।
2. पहला बिन्दु साबित होने की स्थिति में उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम (निकटतम/खेत के टुकडे ना होना आदि) रास्ते का चयन। सर्वोत्तम रास्ता मौके की परिस्थिति के अनुसार भिन्न हो सकता है। यह निकटतम रास्ता हो सकता है। खेत के बंटवारे की सूरत में यह इससे भिन्न भी हो सकता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओं पर पूर्णतः विवेचन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय को उपर्युक्त बिन्दुओं पर सकारण व तार्किक रूप से विवेचन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करना था। जिसके अभाव में यह पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आने से निरस्त योग्य आदेश है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बज्जू का आदेश दिनांक 26—07—2024 खारिज किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को इस निर्देश के प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्ष को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर दिया जाकर मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है अथवा नहीं? तथा अत्यांतिक आवश्यकता के बिन्दु पर विवेचन करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

8. निर्णय आज दिनांक 08-07-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर